भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4599

दिनांक 19 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

.....

जल की कमी की समस्या

4599. श्री अनिल यशवंत देसाईः

श्री संजय उत्तमराव देशमुखः

श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों में लगभग हर वर्ष जलसंकट होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या के समाधान के लिए किए गए/किए जाने वाले उपाय क्या हैं, साथ ही देश में और महाराष्ट्र के विशेष संदर्भ में इस बारे में राहत प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की जा रही किसी योजना/कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): महाराष्ट्र सहित देश के सक्रिय भूजल संसाधनों का आकलन वर्ष 2022 से केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। वर्ष 2025 के आकलन के अनुसार, कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 448.52 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है और वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 407.75 बीसीएम है। वर्ष 2025 के लिए पूरे देश का कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247.22 बीसीएम अनुमानित किया गया है। महाराष्ट्र सहित भारत के राज्य-वार भूजल संसाधन (2025) **अनुलग्नक-I** में प्रस्तुत किए गए हैं।

इसके अलावा, महाराष्ट्र सहित देश भर में कुल 6762 मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉक/तालुक/मंडल) में से 730 (10.80%) इकाइयों को 'अति-दोहित श्रेणी में रखा गया है, जो दर्शाता है कि भूजल का दोहन वार्षिक रूप से पुनःपूर्ति योग्य भूजल पुनर्भरण से अधिक है। 201 (2.97%) मूल्यांकन इकाइयों में भूजल दोहन का स्तर 90-100% के बीच है और इन्हें 'गंभीर' श्रेणी में रखा गया है। 758 (11.21%) इकाइयाँ "अर्ध-गंभीर" श्रेणी में आती हैं, जहाँ भूजल दोहन का स्तर 70% से 90% के बीच है, और 4946 (73.14%) इकाइयों को "सुरक्षित" ब्लॉक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 127 (1.88%) मूल्यांकन इकाइयों को "लवणीय" श्रेणी में रखा गया है। महाराष्ट्र राज्य में, 85.24% मूल्यांकन इकाइयाँ सुरक्षित श्रेणी में, 11.14% अर्ध-गंभीर श्रेणी में, 1.39% गंभीर श्रेणी में, 1.95% अति-दोहित श्रेणी में और 0.28% लवणीय श्रेणी में आती हैं।

(ग): 'जल' के राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन एवं उपयोग के लिए मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कदम उठाए जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। महाराष्ट्र राज्य सहित देश में इस संबंध में उक्त मुद्दों से निपटने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम/उपाय निम्नलिखित हैं:

• केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने महाराष्ट्र राज्य के संपूर्ण मानचित्रण योग्य क्षेत्र, अर्थात् 259914 वर्ग किलोमीटर सहित लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के संपूर्ण मानचित्रण योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्विम) परियोजना को पूरा कर लिया है। जलभृत मानचित्र और प्रबंधन योजनाएं तैयार कर संबंधित राज्य एजेंसियों को कार्यान्वयन के लिए सौंप दी गई हैं। प्रबंधन योजनाओं में पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपाय शामिल हैं।

• वर्ष 2018 में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा चयनित आकांक्षी जिलों में कृत्रिम जल पुनर्भरण का कार्य शुरू किया गया था। महाराष्ट्र के धारशिव (पूर्ववर्ती उस्मानाबाद), आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कडप्पा जिले और तेलंगाना के जंगांव जिले सहित तीन आकांक्षी जिलों में भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने के लिए उपयुक्त स्थानों पर अंतर्वाह जल संचयन हेतु उपयुक्त संरचनाओं का निर्माण किया गया। निर्मित संरचनाओं में चेक डैम, परकोलेशन टैंक, सब-सरफेस बैरियर, रिचार्ज वेल और रिचार्ज शाफ्ट शामिल थे।

• सीजीडब्ल्यूबी द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा और अमरावती जिलों में पांच स्थानों पर भूजल पुनर्भरण के लिए पुल-सह-बंधारा (बीसीबी) निर्माण हेतु एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई। ये संरचनाएं जल परिवहन और पेयजल एवं सिंचाई आवश्यकताओं के लिए प्रतिवाह में जल भंडारण, दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। परियोजना वर्ष 2018 में शुरू हुई और वर्ष 2020 में पूरी हुई।

• जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2019 में 256 जल की कमी वाले जिलों में समयबद्ध, मिशन-आधारित जल संरक्षण अभियान के रूप में जल शक्ति अभियान (जेएसए) शुरू किया। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) कैच द रेन, व्येर इट फॉल्स, वेन इन फॉल्स टैगलाइन के साथ वर्ष 2021 में पूरे भारत में विस्तारित किया गया, जिसमें पाँच लक्षित कार्यकलाप शामिल थे: (1) जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन (2) सभी जल निकायों की संगणना, भौगोलिक जियो-टैगिंग और सूची बनाना; इसके आधार पर जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजनाएँ तैयार करना (3) सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना (4) सघन वृक्षारोपण और (5) जागरूकता पैदा करना। इस अभियान को देश भर के सभी जिलों, ब्लॉकों और नगरपालिकाओं (ग्रामीण और शहरी दोनों) को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया। जेएसए: सीटीआर पोर्टल पर उपलब्ध महाराष्ट्र राज्य में जेएसए: सीटीआर के विवरण **अनुलग्नक-II** में संलग्न हैं।

• "जल संचय जन भागीदारी" (जेएसजेबी) पहल 6 सितंबर 2024 को जेएसए: सीटीआर अभियान को और मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी। जेएसजेबी पहल का उद्देश्य कम लागत में और अधिकतम क्षमता के साथ वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण हेतु सामुदायिक कार्रवाई और एकीकरण को तेज करना है। इसका लक्ष्य समाज और सरकार के समग्र सहयोग से सामूहिक प्रयासों के माध्यम से पानी की हर बूंद का संरक्षण सुनिश्चित करना है। सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देकर, यह पहल जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के लिए सूक्ष्म स्तर पर लागत प्रभावी, स्थानीय समाधान विकसित करने का प्रयास करती है। सरकार राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों के साथ साझेदारी में जेएसजेबी पहल को बढ़ावा देती है ताकि इसकी व्यापक पहुंच और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। जेएसजेबी 1.0

के अंतर्गत, प्रभावशाली रूप से 27.62 लाख कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और भंडारण परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनमें से 23.83 लाख परियोजनाएं 31 मई 2025 तक पूरी हो चुकी थीं, जो भारत के जल संरक्षण आंदोलन में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। दिनांक 10.03.2026 तक, जेएसजेबी के अंतर्गत कुल 4.4 लाख से अधिक कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और भंडारण परियोजनाओं की सूचना दी गई है। जेएसजेबी पोर्टल के अनुसार, महाराष्ट्र में जेएसजेबी (जेएसजेबी 1.0 और जेएसजेबी 2.0) के अंतर्गत कुल 30,964 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेतों में जल की वास्तविक उपलब्धता बढ़ाना, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्रों का विस्तार करना, खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, सतत जल संरक्षण पद्धतियों को लागू करना आदि था। वर्ष 2016-17 के दौरान 88 परियोजनाओं में कमान क्षेत्र विकास के साथ-साथ चालू निन्यानवे (99) प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (7 चरणों सहित) की पहचान की गई और उन्हें पीएमकेएसवाई के अंतर्गत शामिल किया गया। इनमें से 26 परियोजनाएं महाराष्ट्र की हैं।

• वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन की मंजूरी के बाद पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत उन्नीस (19) प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए शामिल किया गया है। इनमें से तीन (03) परियोजनाएं महाराष्ट्र से हैं। वर्ष 2016-25 की अवधि के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत 29.23 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है और पीएमकेएसवाई एचकेकेपी-सीएडी एवं डब्ल्यूएम के अंतर्गत 22.21 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र विकसित किया गया है। इनमें से, इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र में 4.16 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है और 2.71 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र विकसित किया गया है।

• इसके अतिरिक्त, जुलाई 2018 में महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ और मराठवाड़ा जिलों और शेष महाराष्ट्र क्षेत्र में 8 प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और 83 सतही लघु सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र के लिए एक विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया था। इस योजना के अंतर्गत तीन प्रमुख और मध्यम परियोजनाएं और 70 सतही लघु सिंचाई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 2.16 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की गई है।

• आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आदर्श भवन उपनियम, 2016 जारी किए गए हैं, जिनमें 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक भूखंड वाले सभी प्रकार के भवनों के लिए वर्षा जल संचयन की सिफारिश की गई है। अब तक, महाराष्ट्र सहित 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने भवन उपनियमों में इन प्रावधानों को शामिल कर लिया है।

• आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का कार्यान्वयन किया जाता है, जिसे 25 जून 2015 को महाराष्ट्र सहित देश भर के चयनित 500 शहरों (15 विलयित शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में शुरू किया गया था।

अनुलग्नक-I

"जल की कमी की समस्या" के संबंध में दिनांक 19.03.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 4599 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

भारत के राज्य-वार भूजल संसाधन, 2025

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण (बीसीएम में)	वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन (बीसीएम में)	सभी उपयोगों के लिए वार्षिक भूजल निष्कर्षण (बीसीएम में)
1	आंध्र प्रदेश	26.34	25.02	7.88
2	अरुणाचल प्रदेश	3.69	3.29	0.01
3	असम	26.36	20.29	2.93
4	बिहार	34.51	31.32	14.47
5	छत्तीसगढ़	14.30	13.07	6.30
6	गोवा	0.38	0.31	0.07
7	गुजरात	27.58	25.61	14.33
8	हरियाणा	10.27	9.30	12.72
9	हिमाचल प्रदेश	1.12	1.01	0.39
10	झारखंड	6.15	5.63	1.85
11	कर्नाटक	19.27	17.41	11.58
12	केरल	5.45	4.93	2.46
13	मध्य प्रदेश	36.07	34.15	20.26
14	महाराष्ट्र	33.89	31.99	16.57
15	मणिपुर	0.44	0.40	0.04
16	मेघालय	1.84	1.54	0.08
17	मिजोरम	0.21	0.19	0.01
18	नागालैंड	0.55	0.50	0.02
19	ओडिशा	17.44	16.02	7.81
20	पंजाब	18.60	16.80	26.27
21	राजस्थान	12.87	11.62	17.10
22	सिक्किम	0.24	0.22	0.01
23	तमिलनाडु	22.61	20.46	15.04
24	तेलंगाना	21.93	19.84	9.26
25	त्रिपुरा	1.53	1.24	0.12
26	उत्तर प्रदेश	73.39	66.97	46.89
27	उत्तराखंड	2.13	1.95	1.05
28	पश्चिम बंगाल	25.85	23.50	10.62

29	अंडमान और निकोबार	0.38	0.35	0.01
30	चंडीगढ़	0.05	0.05	0.03
31	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0.13	0.12	0.05
32	दिल्ली	0.38	0.35	0.32
33	जम्मू और कश्मीर	2.30	2.07	0.51
34	लद्दाख	0.07	0.06	0.02
35	लक्षद्वीप	0.01	0.01	0.00
36	पुडुचेरी	0.19	0.17	0.13
	कुल योग	448.52	407.75	247.22
नोट- राष्ट्रीय संकलन के लिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा और लक्षद्वीप के वाष्पीकरण हानि को कुल प्राकृतिक निर्वहन में जोड़ा गया है।				
*विभिन्न स्तरों पर पूर्णांक के कारण संख्या में मामूली विसंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं और पंजाब के मामले में लैटरल फ्लो से 0.02 बीसीएम योगदान के कारण उत्पन्न हो सकती है।				

अनुलग्नक-II

"जल की कमी की समस्या" के संबंध में दिनांक 19.03.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 4599 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

जेएसए: सीटीआर पोर्टल के अनुसार दिनांक 22/03/2025 - दिनांक 17/03/2026 का जेएसए: सीटीआर विवरण (महाराष्ट्र)					
क्र.सं.	**जिले का नाम**	***पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण**	***पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएं**	***वाटरशेड विकास**	***गहन वनीकरण**
1	अहमदनगर	97	309	6	247238
2	अकोला	1	139	5	856
3	अमरावती	58	266	261	3523
4	औरंगाबाद	13	5	20	1846
5	बीड	213	81	238	1515
6	भंडारा	193	316	931	337
7	बुलढाणा	0	73	5	14415
8	चंद्रपुर	142	187	218	1024
9	धुले	3	95	19	109279
10	गढ़चिरौली	44	122	276	641
11	गोंदिया	246	163	321	503
12	हिंगोली	0	1	24	261
13	जलगांव	2	710	50	1896
14	जालना	3	167	33	3116
15	कोल्हापुर	1	304	85	300
16	लातूर	7	97	5	615
17	मुंबई	0	0	0	0
18	मुंबई उपनगर	0	0	0	0
19	नागपुर	3	64	121	1462
20	नांदेड़	31	9	50	597
21	नंदुरबार	0	144	45	1325
22	नासिक	132	310	164	3136
23	उस्मानाबाद	5	96	7	292
24	पालघर	496	26	258	5129
25	परभणी	0	74	11	6295
26	पुणे	0	343	35	2647
27	रायगढ़	25	452	12	2120
28	रत्नागिरी	4	2201	237	3202
29	सांगली	0	380	53	696
30	सतारा	0	1356	122	1031
31	सिंधुदुर्ग	0	155	38	7015
32	सोलापुर	77	80	60	1837
33	ठाणे	20	115	405	10198
34	वर्धा	0	26	51	961
35	वाशिम	5	567	48	1687
36	यावतमल	50	2770	212	2591
	कुल	**1871**	**12203**	**4426**	**439586**
